>

Title: Need to enact laws and frame guidelines for management and disposal of electronic waste in the country.

**श्री दत्ता मेघे (वर्धा):** मैं सरकार का ध्यान इलैक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस के मुताबिक भारत इलैक्ट्रॉनिक कचरे का विश्वस्तरीय ठिकाना बन गया है। हमारे देश में प्रतिवर्ष करीब पांच करोड़ टन इलैक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। दुनिया के 105 देशों का कचरा हमारे समुद्र तटों पर कानूनी और गैरकानूनी ढंग से उतारा जाता है। एक अध्ययन से पता चला हे कि 2001 में भारत में 3,80,000 टन कचरा पैदा हुआ जो 2012 तक 8 लाख टन हो जाने की आशंका है। प्रतिवर्ष 15 से 20 प्रतिशत तक इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस कचरे की मात्रा 4 करोड़ टन प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। इस कचरे में टेलीविजन, मोबाईल फोन, प्रिन्टर्स और कम्प्यूटर्स की मात्रा ज्यादा होती है। जिसमें पारा, क्रोमियम, क्लोराइड जैसे घातक रसायन होते हैं। इन रसायनों से पर्यावरण तथा मानवीय शरीर पर घातक असर होता है।

अखबारों की खबरें और मेरी जानकारी के अनुसार नागपुर शहर महाराष्ट्र में इलैक्ट्रॉनिक कचरे का प्रमुख केन्द्र बन गया है। विदर्भ, जंगलों और वन्यप्राणियों से सम्पन्न प्रदेश है और यहां पर पर्यावरण आज भी संतुलित है। इसलिए नागपुर शहर को इलैक्ट्रॉनिक कचरे से बचाना चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इलैक्ट्रॉनिक कचरे की गंभीर समस्या से निपटने के लिए जल्द से जल्द सख्त कानून और गाईडलाइन का निर्माण करे ताकि आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। .